न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या:— 42/2022

सुखवीर कौर पुत्री स्व. दर्शन सिंह पत्नी रविन्द्र सिंह, जाति नाई सिख, निवासी लुढाणा हाल निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

———प्रार्थिया

बनाम

नरेन्द्र सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति नाई सिख, निवासी लुढाणा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

——— अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ओम प्रकाश मोदी — प्रार्थीया
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —— अप्रार्थी

—:: निर्णय :—

दिनांक:— 28/01/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अप्रार्थी गण द्वारा अधिवक्ता श्री औम प्रकाश मोदी प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निम्नप्रकार है कि उक्त अनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जो मैरिट पर मजबूत है जिसमें प्रार्थिया को सफलता की पूर्ण आशा है। यह कि निम्नलिखित भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्शन सिंह, मेजर सिंह, नाजर सिंह, अमरजीत सिंह पि. गुलजार सिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी—चक 10 एन एस डब्ल्यू प नं. 22/341 मुन 46 किला नं. 16, 17, 18 प.न. 16/341 मु.न. 52 किला न. 1/2, 2, 3, 16 ता 19, 20/2 प.न. 15/341 मु.न. 53 किला न. 16 ता 20 प.न. 15/342 मु.न. 56 किला न. 4, 5 प.न. 22/342 मु.न. 63 किला न. 11/2, 1215, 21/2, 22/1 प.न. 23/342 मु.न. 64 किला नं. 11 ता 15 कुल 7.388 हैक्टेयर

यह कि प्रार्थिया के पिता दर्शन सिंह का दिनांक 26—2—2003 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थिया की माता जयपाल कौर का दिनांक 20—7—2006 को स्वर्गवास हो चुका है। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि में दर्शन सिंह के हिस्सा की 1/4 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रार्थिया अपने माता—पिता की इकलौती संतान है। मेजर सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है। मेजर सिंह के हिस्सा की भूमि उसके पुत्र गुरप्रीत सिंह प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रार्थिया के हिस्सा की भूमि पर प्रथया का कष्णा कास्त चला आ रहा है। यह कि प्रार्थिया के बाल्यकाल में उसके माता—पिता फौत हो चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थिया अपने चाचा अमरजीत सिंह के पास रहती थी। प्रार्थिया के चाचा ने प्रार्थिया की दिनांक 5—9—2021 को शादी करके ससुराल भेज दिया। प्रार्थिया की शादी के बाद प्रार्थिया के ससुराल वालों के साथ कोई संपर्क नहीं किया तथा शादी के बाद चाचा ने प्रार्थिया को कभी नहीं बुलाया।

यह कि प्रार्थिया ने अपने पति को बताया कि उसके पिता के हिस्सा की भूमि जमाबंदी में प्रार्थिया के नाम दर्ज है। पति ने कहा कि जमाबंदी की नकल लेते हैं। जमाबंदी की नकल ली तो पता चला कि प्रार्थिया के हिस्सा की भूमि जमाबंदी में अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है तथा दान दर्ज है। यह देखकर प्रार्थिया हक्की–बक्की रह गई। प्रार्थिया ने अपनी भूमि कभी भी नरेन्द्र सिंह को दान नहीं दी। प्रार्थिया ने कभी भी नरेन्द्र सिंह के पक्ष में कोई दान पत्र नहीं करवाया। अप्रार्थी ने अपने पिता के साथ मिल कर साजिश करके कोई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके गलत व विधि विरुद्ध रूप से प्रार्थिया की भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली है। अप्रार्थी का प्रार्थिया की भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। वह प्रार्थिया की भूमि गलत तरीके से हड़प करना चाहता है।

यह कि प्रार्थिया विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी ने कोई साजिश रच कर प्रार्थिया की भूमि गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवाई है। अप्रार्थी की इस करतूत से प्रार्थिया बर्बाद हो गई। प्रार्थिया अपनी भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत अंकन के आधार पर प्रार्थिया के हिस्सा की भूमि रहन बय मुंतकिल व खुर्द बुर्द करने को उतारु है। अगर वह अपने इस मकसद में कायमाब हो गया तो प्रार्थिया बर्बाद हो जायेगी। प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। आइंदा मुकदमा में पेचीदगी पैदा होगी। प्रार्थिया भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि की अधिकारी व खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वह वाद के निर्णय तक विवादित भूमि में उसके नाम दर्ज प्रार्थिया के हिस्सा की 1/4 हिस्सा भूमि को रहन बय मुंतकिल ना करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। जबाव प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है–

यह कि उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय मे किये जाने की हद तक स्वीकार है शेष कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया, द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रार्थीया की सफलता की कोई आध र नही है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कथन चक 10 एन एस डब्ल्यु की 7.388 हैक्टर भूमि दर्शन सिंह, मेजर सिंह, नाजर सिंह, अमरजीत सिंह के नाम पूर्व मे दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन प्रार्थीया के पिता दर्शन सिंह की दिनांक 26. 02.2003 को व प्रार्थीया की माता जयपाल कौर की दिनांक 20.07.2006 को मृत्यु होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन कि प्रार्थीया के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मे प्रार्थीया के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज होने के कथन भी सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चली आ रह[illegible] प्रार्थीया ने दावादयरी से पूर्व ही दिनांक 31.08.2021 को अपने नाम दर्ज भूमि का [illegible] को सोपकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे दान पत्र रोबरू [illegible] उपपंजीयक पीलीबंगा से पजीकृत करवाया गया है। प्रार्थीया की प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया अपनी माता पिता की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3 के पास रही। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को बहन का व अप्रार्थी के पिता ने प्रार्थीया को पुत्री का प्यार दिया। प्रार्थीया की शादी भी अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता ने प्रार्थीया की इच्छा अनुसार करवाई। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार है कि प्रार्थीया की शादी के बाद प्रार्थीया के ससूराल जाने के पश्चात अप्रार्थी के पिता ने अच्छा व्यवहार न किया हो तथा प्रार्थीया की शादी के बाद प्रार्थीया को कभी न बुलाया गया हो। प्रार्थीया अपनी शादी के बाद अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता पास कई बार आयी प्रार्थीया दिनांक 31.01.2022 को अपने पति व दादा ससूर के साथ अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता के साथ घर आई तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थी की माता से सन्दूक व अलमारी की चाबी लेकर उसमे रखे कागजात जिसमे प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित मूल दानपत्र, बैकों की पासबुके, चैकबुक व ट्रेक्टर की आरसी व एक जोडी सोने के टोपस, एक जेन्टस सोने की अंगूठी व एक लेडिज सोने की अंगूठी चोरी करके ले गई जिसके सम्बन्ध मे पुलिस थाना पीलीबंगा मे कार्यवाही करने हेतू अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने अपने नाम दर्ज भूमि का दिनांक 31.08.2021 को अपनी स्वैच्छा से अप्रार्थी को अपने नाम दर्ज भूमि का अधिपत्य सौपकर अप्रार्थी के पक्ष मे स्नेह वशदान पत्र निष्पादित किया गया है जिसकी प्रार्थीया एक शिक्षित महिला होने से उसे दस्तावेज दानपत्र निष्पादित किये जाने के दिवस से ही पूर्ण जानकारी रही है। प्रार्थीया ने अपने नाम जमाबन्दी मे भूमि दर्ज होना अपने पति को बताने सम्बन्धी कथन अपने प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिये झुठे दर्ज किये गये है। प्रार्थीया ने अपने नाम दर्ज भूमि दिनांक 31.08.2021 को अपनी पूर्ण स्वैच्छा से रोबरू गवाहान दान पत्र का दस्तावेज निष्पादित करके उसे पजीबद्ध करवाया गया है। प्रार्थीया द्वारा निष्पादित दानपत्र दिनांक 31.08.2021 किसी भी रूप मे अप्रार्थी ने अपने पिता के साथ मिलकर फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार नही किया गया है तथा न ही अप्रार्थी ने गलत व विधिविरूद्ध रूप से प्रार्थीया की भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाई गई है। प्रार्थीया द्वारा निष्पादित पजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के नाम भूमि दर्ज की गई है जो पूर्ण रूप से विधिसम्मत है। 6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया किसी भी रूप मे प्रश्नगत भूमि के 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार नही है। प्रार्थीया का यह कथन कि पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी का प्रश्नगत भूमि मे कोई हक व हिस्सा निहित नही हो बल्कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी को जरिये पजीकृत दानपत्र प्राप्त हुई है। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि के 1/4 हिस्से का रिकार्डड खातेदार है। प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्से भूमि का जरिये पजीकृत दानपत्र दिनांक 31.08.2021 को अपना हक व हिस्सा अप्रार्थी को दान मे दे चूकी होने से प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की किसी भी रूप 1/4 हिस्सा अथवा अन्य कोई भाग किसी भी रूप मे दर्ज करवाने की अधिकारिणी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का प्रश्नगत [illegible] किसी भी रूप मे कोई हक व हिस्सा निहित नही है। अप्रार्थी जरिये पजीकृत दानपत्र प्रश्नगत भूमि रिकार्डड खातेदार है जिसे अपनी भूमि का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि का रिकार्डड खातेदार है। प्रार्थीया अप्रार्थी रिकार्डड खातेदार के विरूद्धं प्रश्नगत भूमि के अप्रार्थी द्वारा किये जा रहे उपयोग व उपभोग के सम्बन्ध मे कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तूलन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अपूर्णिय क्षति के बिन्दू नही होने से प्रार्थीया अप्रार्थी रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के महज अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के दूर्भावनापूर्वक आशय से प्रस्तुत किया गया होने से 20,000 रूपये के विशेष परिव्यय सहित खारिज किये जाने की कृपा की जावे।

—:आदेश:—

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि चाचा ने प्रार्थीया को पाला है माता—पिता फौत होने है इकलोती संतान है जिसका प्रश्नगत रकबा में 1/4 हिस्सा है चाचा के बेटे ने दान पत्र करवा लिया है वह आगे बैचान न करे अन्यथा अपूर्णिय क्षति होगी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए जिनमें आरआरडी 1993 पृष्ठ संख्या 206 आरआरडी 2002 पृष्ठ संख्या 744, आरआरटी 2002(1) पृष्ठ संख्या 251, आरआरटी 2003(1) पृष्ठ संख्या 373, आरआरटी 2004(1) पृष्ठ संख्या 590, आरआरटी 2005(1) पृष्ठ संख्या 812, आरआरटी 2017(1) पृष्ठ संख्या 491 जिनका समान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि दान पत्र प्रार्थीया द्वारा करवाया गया है दान पत्र के संबंध में सिविल कोर्ट में दावा पेश करे प्रश्नगत दान पत्र को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। कथन किया कि प्रश्नगत रकबा का कब्जा प्रार्थीया के पास नहीं है। बहस पर मनन व प्रस्तुत दस्तावेजों व न्यायिक दृष्टांतों का समान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित अराजी दान पत्र द्वारा अप्रार्थी को दान कर दिया गया है। अप्रार्थी उक्त रकबा पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी रिकार्डिड खातेदार होने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में रिकार्डिड खातेदार है। रिकार्डिड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 28/01/25.... सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता विश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:24 IST
Reason: SelfAttested